Rajasthan Police Academy
सत्यमेव जयते
Security, Justice & Peace

January - March, 2021

Rajasthan Police Academy
News Letter

इस अंक में .....

- राजस्थान पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी घोषित
- पुलिस महानिदेशक द्वारा सम्पर्क सभा
- थ्री फेस वॉल एवं जिम का उद्घाटन
- गणतन्त्र दिवस समारोह 2021
- अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम
- खेल कोटे में चयनित पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण
- सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा–निर्देश एवं डिजीटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021

निदेशक की कलम से......

राजस्थान पुलिस अकादमी को गृह मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा राजपत्रित अधिकारियों की श्रेणी में देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी घोषित किया गया है। इस उपलब्धि के लिए राजस्थान पुलिस अकादमी की पूरी टीम को बधाई एवं शुभकामनाऐं।

1975 में राजस्थान पुलिस अकादमी बनने के पश्चात् हर स्तर पर हुए सतत प्रयासों के परिणामस्वरुप यह उपलब्धि हासिल हो पाई है। इसके लिए नेतृत्व करने वाले समस्त अधिकारी एवं कार्यकारी टीम द्वारा किए गए अथक प्रयास प्रशंसा के पात्र है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं विविधता के साथ साथ सामाजिक सरोकार से जुडे मुद्दों पर किए गए अभिनव प्रयास भी उल्लेखनीय है।

राजस्थान पुलिस अकादमी में पुलिस विज्ञान एवं प्रबन्ध विकास केन्द्र तथा अनुसंधान उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना की गई है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा से जुडे मुद्दों पर विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुसंधान उत्कृष्टता हेतु मानक संचालन प्रक्रियाऐं, प्रशिक्षण हेतु लघु फिल्मों, नाटकों तथा मानक प्रशिक्षण सामग्री के विकास हेतु समर्पित प्रयास किए जाऐंगें।

महिलाओं तथा बच्चों के विरुद्ध होने वाले साईबर अपराधों के अनुसंधान के लिए बनाई गई साईबर फोरेंसिक सह प्रशिक्षण लैब के माध्यम से पुलिस अधिकारियों के साथ साथ न्यायिक अधिकारियों तथा अभियोजन अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

राजस्थान पुलिस अकादमी के आधारभूत ढांचे को विकसित करने के क्रम में थ्री फेस क्लाइंबिंग वॉल बनाई गई है तथा ड्रिल नर्सरी का कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार आधुनिक उपकरणों से सज्जित जिम का भी नवीनीकरण किया गया है। इण्डोर कक्षाओं को भी आधुनिक उपकरणों से लैस किया जा रहा है।

राजस्थान पुलिस अकादमी के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखकर अकादमी को सर्वश्रेष्ठ स्तर पर बनाए रखने हेतु समग्र प्रयास निरन्तर जारी रहेंगें।

राजीव शर्मा
निदेशक

राजस्थान पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ अकादमी

Government of India
Ministry of Home Affairs
Police-I Division

Subject: Union Home Minister's Trophy for Best Police Training Institutions in India for 2016-17-reg.

Bureau of Police Research and Development may please refer to their ID 78/60/2019/Trg(PP)/BPR&D dated 26/12/2020 on the subject and to convey hereby approval of this Ministry as indicated below

(A) Winners at National Level (CAPFs/CPOs)

Category	CAPFs/CPOs Trg. Institutions
Gazetted Officers (GO) Trg institutes	ITBP Academy, Mussoorie
Non-Gazetted Officers (NGO) Trg Institutes	CISF, RTC, Arakkonam, Tamil Nadu
Others (ORs) (Constables) Trg Institutes	CRPF, RTC, Peringone

(B) Winners at National Level (States/UTs)

Category	States/UTs Trg Institutes
Gazetted Officers (GO) Trg institutes	RPA, Jaipur, Rajasthan
Non-Gazetted Officers (NGO) Trg Institutes	HPA, Madhuban, Haryana
Others (ORs) (Constables) Trg Institutes	PTC, Kishangarh , Rajasthan

(C) Winners at Zonal Level

Name of Zone	GOs Trg Institutes	NGOs Trg Institutes	ORs Trg Institutes
North	NIL	NIL	NIL
Western	MPA, Nasik, MH	JNPA, Sagar, MP	PTC, Akola, MH
Central	PTC, Narender Nagar, UK	PTC, Jharoda Kalan, Delhi	PTS, Dwarka, Delhi
Southern	NIL	KPA , Thrissur, Kerala	PTC, Amberpet, Hyd.
North East	NIL	PTS, Shillong	KTDS, PTA, Tripura
Eastern	NIL	BPSPA, Bhubaneswar,	CTC, Nath Nagar, Bihar

2. As per notification, financial implication involved for award as Grant-in-Aid to 6 National Level Winner (A) & (B) above and 12 Zonal Level Institutes (C) above is be as under:

Winners at National Level (CAPFs/CPOs)	Winners at National Level (States/UTs)	Winners at Zonal Level					
		North	Western	Central	Southern	North East	Eastern
Rs. 20 lakh x 3 = 60 lakh	Rs. 20 lakh x 3 = 60 lakh	Nil	Rs. 2 lakh x 3= 6 lakh	Rs. 2 lakh x 3= 6 lakh	Rs. 2 lakh x 2= 4 lakh	Rs. 2 lakh x 2= 4 lakh	Rs. 2 lakh x 2=-4 lakh

Total: Rs. 1.44 Crore. BP&D may incur the expenditure from their own budget for the FY year 2020-21.

3. As per notification, Head of the Trophy winning Institution at National Level are awarded Home Minister's Disc.

4. This issues with the approval of Union Home Minister.

(A.K.Saran)
Director (Police)

_Director General, BPR&D, Mahipalpur, New Delhi
MHA I.D. No. 11019/06/2020-PMA

Dated : 19th January, 2021

राजस्थान पुलिस अकादमी को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 एवं 2019–20 के लिए राजपत्रित अधिकारियों की श्रेणी में देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी घोषित किया गया है। इसके लिए राजस्थान पुलिस अकादमी को एक रनिंग ट्रॉफी एवं प्रत्येक वर्ष के लिए 20 लाख रुपये की नगद राशि पुरस्कार स्वरुप दी जाएगी। राजस्थान पुलिस अकादमी की इस सफलता पर पुलिस महानिदेशक श्री मोहन लाल लाठर एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने अकादमी के निदेशक श्री राजीव शर्मा को बधाई प्रेषित की।

राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव शर्मा ने इस उपलब्धि के लिए राजस्थान पुलिस अकादमी के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी प्रतिबद्धता के लिए बधाई दी तथा इसे टीम भावना का एक उत्कृष्ट उदाहरण बताया। साथ ही उन्होंनें तत्समय राजस्थान पुलिस अकादमी का नेतृत्व करने वाले पुलिस अधिकारियों का भी आभार जताया।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी वर्ष 2015–16 में राजस्थान पुलिस अकादमी को गृह मंत्रालय, भारत सरकार

Government of India
Ministry of Home Affairs
Police-I Division

Subject: Union Home Minister's Trophy for Best Police Training Institutions in India for 2019-20-reg.

Bureau of Police Research and Development may please refer to their ID 78/60/2019/Trg(PP)/BPR&D dated 26/12/2020 on the subject and to convey hereby approval of this Ministry as indicated below

(A) Winners at National Level (CAPFs/CPOs)

Category	CAPFs/CPOs Trg. Institutions
Gazetted Officers (GO) Trg institutes	CRPF Academy, Gurugram
Non-Gazetted Officers (NGO) Trg Institutes	CAPT, Bhopal
Others (ORs) (Constables) Trg Institutes	CISF, KRTC, Mundali

(B) Winners at National Level (States/UTs)

Category	States/UTs Trg Institutes
Gazetted Officers (GO) Trg institutes	RPA, Jaipur, Rajasthan
Non-Gazetted Officers (NGO) Trg Institutes	OCTOPUS, CTC, Hyderabad, Telangana
Others (ORs) (Constables) Trg Institutes	PTC, Kishangarh, Rajasthan

(C) Winners at Zonal Level

Name of Zone	GOs Trg Institutes	NGOs Trg Institutes	ORs Trg Institutes
North	NIL	HPA, Madhuban,Haryana	Nil
Western	MIA, Pune, Maharashtra	GPA, Karai, Gujarat	PTS, Nagpur
Central	PTC, Pangei, Manipur	PTC, Jharoda Kalan, Delhi	PTS, Dwarka, Delhi
Southern	KPA, Kerala	NIL	CTC, Hyd, Telangana
North East	APRO, Jalukbari, Assam	RTS, Dergaon, Assam	APTC, Dergaon, Assam
Eastern	NIL	BPSPA, Bhubaneswar	NIL

2. As per notification, financial implication involved for award as Grant-in-Aid to 6 National Level Winner (A) & (B) above and 14 Zonal Level Institutes (C) above is be as under:

Winners at National Level (CAPFs/CPOs)	Winners at National Level (States/UTs)	Winners at Zonal Level					
		North	West	Central	Southern	North East	Eastern
Rs. 20 lakh x 3 = 60 lakh	Rs. 20 lakh x 3 = 60 lakh	Rs. 2 lakh x 1 = 2 lakh	Rs. 2 lakh x 3 = 6 lakh	Rs. 2 lakh x 3 = 6 lakh	Rs. 2 lakh x 2 = 4 lakh	Rs. 2 lakh x 3 = 6 lakh	Rs. 2 lakh x 1 = 2 lakh

Total: Rs. 1.46 Crore. BP&D may incur the expenditure from their own budget for the FY year 2020-21.

3. As per notification, Head of the Trophy winning Institution at National Level are awarded Home Minister's Disc.

4. This issues with the approval of Union Home Minister.

(A.K.Saran)
Director (Police)

Director General, BPR&D, Mahipalpur, New Delhi
MHA I.D. No. 11019/06/2020-PMA

Dated : 14th January, 2021

द्वारा अराजपत्रित अधिकारियों की श्रेणी में देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी घोषित किया था।

गृह मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षण संस्थानों के प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु एक प्रणाली विकसित की गई है जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षण की क्षमता, गुणवत्ता एवं विविधता के साथ साथ आधारभूत ढांचे के विकास एवं रखरखाव, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय समारोहों के आयोजन, वेबसाइट एवं साईबर लैब्स, पुस्तकालय का रखरखाव एवं विकास, संसाधनों की उत्पादकता, सामाजिक सरोकार से जुडे मुद्दो पर सहभागिता, नवाचारों को प्रोत्साहन, सामुदायिक सहयोग, पर्यावरण संरक्षण एवं उत्थान, कार्मिकों के कल्याण हेतु किए गए कार्यों, प्रशिक्षुओं द्वारा प्रशिक्षकों के निर्देशन में किए गए प्रदर्शन आदि मापदण्डों को शामिल किया गया है।

उल्लेखनीय है कि पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, किशनगढ, राजस्थान को भी गृह मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 एवं 2019–20 के लिए कानिस्टेबल प्रशिक्षण की श्रेणी में देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान घोषित किया गया है। राजस्थान के दो प्रशिक्षण केन्द्रों का पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ घोषित होना पूरी राजस्थान पुलिस के लिए गौरव का विषय है।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा सम्पर्क सभा

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 06.03.2021 को पुलिस महानिदेशक श्री मोहन लाल लाठर द्वारा राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर रेंज एवं जयपुर स्थित राजस्थान सशस्त्र बल की बटालियनों के कार्मिकों की सम्पर्क सभा ली गई। इस अवसर पुलिस महानिदेशक महोदय ने उपस्थित कार्मिकों को नवीन चुनौतियों से डटकर मुकाबला करने का आह्वान किया तथा कोरोनाकाल में पुलिसकर्मियों द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्कृष्ठ प्रयासों का जिक्र करते हुए इन प्रयासों की खुले मन से प्रशंसा की। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस सेवा के मूल मन्त्र ''सेवार्थ कटिबद्धता'' को आत्मसात करने का भी आह्वान किया।

इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित कार्मिकों की समग्र समस्याओं को भी सुना तथा पुलिस मुख्यालय स्तर पर पुलिस कार्मिकों के कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों का कार्य चुनौतिपूर्ण होने के साथ साथ सामाजिक सेवा करने का एक सर्वोत्तम माध्यम है। समाज के कमजोर वर्गों की सेवा करने एवं पीडितों को न्याय दिलाने में सहयोग करने से जो आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है वहीं हमारे कर्तव्य निर्वहन का परम लक्ष्य है।

इस अवसर पर राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव शर्मा, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (सर्तकता) श्री बीजू जॉर्ज जोसफ, महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज, जयपुर श्री हवासिंह घुमरिया ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए समस्त कार्मिकों को पूर्ण सेवा भाव, ईमानदारी एवं निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का आह्वान किया।

समारोहपूर्व मनाया गणतंत्र दिवस

हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राजस्थान पुलिस अकादमी में गणतन्त्र दिवस समारोह पूर्ण हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया गया। सम्पूर्ण परिसर की सजावट के साथ ही मुख्य भवनों, स्टेडियम एवं अकादमी के प्रवेश द्वार को विशेष रूप से सजाया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर अकादमी के प्रशासनिक भवन, हॉस्टल्स् एवं स्टेडियम में रोशनी से सजावट की गई।

राजस्थान पुलिस अकादमी के स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में अकादमी के निदेशक श्री राजीव शर्मा द्वारा झण्डा रोहण किया गया। समारोह में उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्रगान गाया। इस अवसर पर निदेशक महोदय ने सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए उन्हें अपने कार्य में प्रजातान्त्रिक मूल्यों एवं परम्पराओं को आत्मसात करने पर बल दिया। इसी के साथ उन्होंनें राजस्थान पुलिस अकादमी को गृह मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 एवं 2019–20 के लिए राजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु देश की सर्वश्रेष्ठ अकादमी घोषित किये जाने पर सभी को बधाई दी तथा इस सम्मान को प्राप्त करने में योगदान देने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर निदेशक महोदय, उपमहानिरीक्षक श्री कैलाश चन्द्र तथा उपनिदेशक एवं प्राचार्य श्री मनीष अग्रवाल ने राजस्थान पुलिस अकादमी में पदस्थापित अधिकारियों कर्मचारियों को सर्वोत्तम, अतिउत्तम एवं उत्तम सेवा चिन्ह प्रदान किए एवं राजस्थान पुलिस अकादमी के स्वच्छता दूतों को किट प्रदान कर उनका सम्मान किया। समारोह के दौरान कोविड–19 के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना की गई।

राजस्थान पुलिस अकादमी के प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षुओं के मध्य एक मैत्री वॉलीबाल मैच खेला गया। इस रोमांचक मैच में राजस्थान पुलिस अकादमी के प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षुओं को हराकर अपना दमखम दिखाया। मैच के दौरान राजस्थान पुलिस अकादमी के वरिष्ठ अधिकारियों ने उपस्थित रहकर दोनो ही टीमों की हौंसला अफजाई की।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा श्री फेस वॉल तथा जिम का उद्घाटन

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 15.02.2021 को पुलिस महानिदेशक श्री मोहन लाल लाठर द्वारा राजस्थान पुलिस अकादमी में नवनिर्मित श्री फेस वॉल तथा आधुनिक उपकरणों से सज्जित नवीकृत जिम्नेजियम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव शर्मा, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (प्रशिक्षण) श्री सचिन मित्तल तथा अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रशिक्षक उपस्थित रहे।

राजस्थान पुलिस अकादमी के जिम का नवीनीकरण करवाया गया है तथा इसे अत्याधुनिक उपकरणों से सज्जित किया गया है। इसी प्रकार प्रशिक्षण की आधारभूत सुविधाओं के विकास की योजना के तहत श्री फेस वॉल का निर्माण किया गया है। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक महोदय ने इस वॉल पर दिए गए डेमों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा आधारभूत सुविधाओं के विकास एवं रख रखाव के संबंध में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

आरपीएस अधिकारियों का इण्डेक्शन कोर्स

राजस्थान पुलिस अकादमी में पुलिस निरीक्षक/कम्पनी कमाण्डर से पुलिस उपाधीक्षक पद पर पदोन्नत हुए कुल 59 अधिकारियों का 6 सप्ताह के इण्डेक्शन कोर्स का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में पुलिस महानिदेशक श्री मोहन लाल लाठर, अकादमी के निदेशक श्री राजीव शर्मा, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (प्रशिक्षण) श्री सचिन मित्तल तथा अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रशिक्षक उपस्थित रहे।

पुलिस महानिदेशक श्री मोहन लाल लाठर ने इस अवसर पर नव पदौन्नत अधिकारियों को उनके नवीन पद के संबंध में आने वाली चुनौतियों, पर्यवेक्षण के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही, अधीनस्थों तथा उच्चाधिकारियों के मध्य समन्वय, अनुसंधान के नवीन आयामों आदि के बारे में जानकारी देते हुए एक आदर्श पुलिस अधिकारी के रुप में अपने आप को स्थापित करने की हिदायत देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाऐं दी।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (प्रशिक्षण) श्री सचिन मित्तल ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को सीखने का एक अवसर बताते हुए इस समय का सर्वोत्तम उपयोग करने की सलाह देते हुए सभी अधिकारियों से कहा कि एक पुलिस अधिकारी के रुप में अपेक्षित कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नवीन कानूनों, मानक संचालन प्रक्रियाओं की जानकारी आदि अपेक्षित है।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्री बी.एल. सोनी, महानिदेशक पुलिस, एसीबी सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों, न्यायिक अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों ने विभिन्न विषयों पर प्रतिभागियों के साथ अपना अनुभव एवं जानकारियां साझा की।

खेल कोटा के नवनियुक्त अधिकारियों का प्रशिक्षण

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 21.02.2021 से खेल कोटा से विशेष चयनित नव नियुक्त अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत/राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाडियों को विशेष चयन प्रक्रिया में पुलिस उपाधीक्षक एवं उप निरीक्षक के रुप में चयनित किया है।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के उदघाटन सत्र में श्री कैलाश चन्द, उपमहानिरीक्षक, श्री रेवन्त दान, सहायक निदेशक (इण्डोर), कोर्स डायरेक्टर श्रीमति सुमन चौधरी एवं सहायक कोर्स डायरेक्टर श्री दीपक यादव, पुलिस निरीक्षक उपस्थित रहे।

श्री कैलाश चन्द, उप महानिरीक्षक ने अपने उद्‌बोधन में सभी प्रतिभागियों को विशिष्ट चयन की बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाऐं दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह खेल के क्षेत्र में कडी मेहनत एवं जज्बे के साथ जिस तरह का प्रदर्शन कर ये मुकाम हासिल किया है उसी प्रकार अपने सेवा क्षेत्र में भी इसी प्रकार का जज्बा एवं प्रतिबद्धता होनी चाहिए।

पुलिस उपाधीक्षक के पद पर चयनित खिलाड़ी

क्र. सं.	नाम अधिकारी	खेल
1.	श्रीमति शालिनी पाठक	कबड्डी
2.	श्री राजुलाल चौधरी	कबड्डी
3.	श्री जितेन्द्र सिंह	घुड़सवारी
4.	श्री रजत चौहान	तिरंदाजी
5.	श्री ओमप्रकाश	नौकायन
6.	श्री ओमप्रकाश मिठारवाल	निशानेबाजी

पुलिस उप निरीक्षक के पद पर चयनित खिलाड़ी

क्र. सं.	नाम अधिकारी	खेल
1.	श्री सचिन	कबड्डी
2.	श्री अनिल गुजराल	खो–खो
3.	सुश्री ममता कुमारी ढाका	कबड्डी
4.	श्री कमलेश खटीक	वॉलीबाल
5.	श्री ओमप्रकाश	शूटिंग
6.	श्री मनोहर लाल	साइक्लिंग
7.	सुश्री प्राची गुर्जर	हैंडबॉल

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान पुलिस अकादमी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में महिला सशक्तीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करने वाली डॉ. मालती गुप्ता, श्रीमती परमजीत कौर तथा श्रीमती छवि राजावत को आमन्त्रित किया गया।

डॉ. मालती गुप्ता जयपुर की पहली महिला सर्जन है जिन्होंने जयपुर में प्लास्टिक सर्जरी हेतु विशेष तकनीक विकसित कर अनेक मरीजों का सफल इलाज किया है। श्रीमती परमजीत कौर एथलेटिक्स की अन्तर्राष्ट्रीय खिलाडी रही है जिन्होंने 400 मीटर दौड की स्पर्धा में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है तथा वे राजस्थान की पहली महिला एथलीट रही है जिन्होंने ओलम्पिक में भाग लिया। उन्होंने सिडनी ओलम्पिक 2000 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। श्रीमती छवि राजावत भारत की सबसे कम आयु की महिला सरपंच रही है। वे मालपुरा तहसील के सोडा ग्राम पंचायत की सरपंच रही है। उन्हें ग्रामीण राजस्थान का युवा चेहरा कहा जाता है। उन्होंने वर्ष 2011 में यूनाईटेड नेशन की वर्ल्ड कान्फ्रेंस का संबोधित किया था।

इस कार्यक्रम में तीनों ही अतिथियों ने अपने अपने जीवन के संस्मरणों के बारे में बताते हुए उनके समक्ष आई चुनौतियों के बारे में उपस्थित प्रतिभागियों से चर्चा की। इस कार्यक्रम का संचालन सहायक निदेशक श्रीमती सुमन चौधरी ने किया। इस अवसर पर बडी संख्या में राजस्थान पुलिस अकादमी के प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षु उपस्थित रहे।

जयपुर मैराथन में राजस्थान पुलिस अकादमी की प्रतिभागिता

14 फरवरी 2021 को आयोजित एयू बैंक जयपुर मैराथन में राजस्थान पुलिस अकादमी के 115 प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। संस्कृति युवा मंच, जयपुर, वर्ल्ड ट्रेड पार्क तथा एयू फाईनेंस बैंक के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस मैराथन को 26 जगहों पर आयोजित किया गया था जिसमें राजस्थान पुलिस अकादमी भी एक आयोजन स्थल रहा। उल्लेखनीय है कि हर वर्ष राजस्थान पुलिस अकादमी के प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षुओं द्वारा इस मैराथन में भाग लेकर पदक जीतें है।

भागचन्द ने जीता स्वर्ण पदक

राजस्थान पुलिस अकादमी में पदस्थापित श्री भागचन्द बैरवा कानि. 91 द्वारा 12 से 19 मार्च 2021 को बैंगलोर में आयोजित नेशनल ओपन क्रॉस कन्ट्री घुडसवारी प्रतियोगिता के टीम इवेन्ट में स्वर्ण पदक जीता। श्री भागचन्द की इस उपलब्धि पर राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव शर्मा एवं सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें बधाई दी तथा उनका सम्मान किया।

श्री भागचन्द ने यह पदक घोडी जैनी के साथ आरवीसी सहारनपुर तथा भोपाल के दो घुडसवारों की टीम बनाकर जीता है। इस प्रतियोगिता में पूरे देश से 41 टीमों ने भाग लिया था। श्री भागचन्द एवं उनकी टीम ने सभी टीमों के कडे मुकाबले में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए यह उपलब्धि हासिल की है।

उल्लेखनीय है कि श्री भागचन्द अब तक विभिन्न प्रतियोगिताओं में 12 स्वर्ण, 2 रजत एवं 1 कांस्य पदक जीत चुके है। इसके साथ ही वे अखिल भारतीय पुलिस घुडसवारी प्रतियोगिता में 2 बार बेस्ट राईडर का खिताब भी जीत चुके है।

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश एवं डिजीटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021

- सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न रिट याचिकाओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुए 1 दिसम्बर 2018 के आदेश में कहा था कि भारत सरकार सामग्री उपलब्ध कराने वाले प्लेटफार्म और अन्य अनुप्रयोगो मे चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप और गैंगरेप की तस्वीरों, वीडियों तथा साइट को खत्म करने के लिये आवश्यक दिशा–निर्देश तैयार करे।
- राज्यसभा की एक तदर्थ समिति ने सोशल मीडिया पर पोर्नोग्राफी के खतरनाक मुद्दे और बच्चों और समाज पर पडने वाले इसके प्रभावों के अध्ययन के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा ऐसी सामग्री के मूल निर्माता की पहचान किये जाने की सिफारिश की।
- केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 26 फरवरी 2021 को सोशल मीडिया एवं डिजीटल प्लेटफॉर्म पर नियन्त्रण एवं निगरानी हेतु सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश एवं डिजीटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 जारी किए।
- इन नियमों द्वारा सरकार द्वारा सोशल मीडिया/मध्यस्थों हेतु नए दिशा–निर्देश जारी किए गए है तथा वीडियों स्ट्रीमिंग ओवर द–टॉप प्लेटफार्म को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाया गया है।

सोशल मीडिया हेतु नियम

- उपयोगकर्ताओ की संख्या के आधार पर सोशल मीडिया प्लेटफार्म मध्यस्थों को दो समूहो में विभाजित किया गया है।

  1. सोशल मीडिया मध्यस्थ
  2. महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ।
- प्रमुख सोशल मीडिया मध्यस्थों द्वारा अतिरिक्त जॉच पडताल/निरीक्षण का अनुपालन।
- शिकायत निवारण तंत्र की अनिवार्यता
- उपयोगकर्ताओ की ऑनलाईन सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करना
- प्रमुख सोशल मीडिया मध्यस्थों द्वारा अतिरिक्त जांच पडताल का पालन
- गैर कानूनी सूचना को हटाना

समाचार प्रकाशकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया के लिये नियम

ओटीटी हेतु

- सामग्री का स्व–वर्गीकरण :
- नियमों के अनुसार, ओटीटी प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन चयनित सामग्री का प्रकाशक कहा जाता है, इस सामग्री को पाँच आयु आधारित श्रेणियों–U/A (यूनिवर्सल), U/A 7+, U/A 13+, U/A 16+ और A (वयस्क) में वर्गीकृत किया जाएगा।
- पैरेंटल लॉक :
- U/A 13+ या उससे उपर की श्रेणी के लिये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पैरेंटल लॉक का फीचर देना होगा और । श्रेणी के कंटेट के लिये आयु को वेरिफाई करने का बेहतर मैकेनिज्म तैयर करना होगा।

समाचार प्रकाशकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया के लिये नियम

डिजिटल मीडिया पर समाचार प्रकाशकों हेतु

- समाचार प्रशासकों को डिजिटल मीडिया पर 'भारतीय प्रेस परिषद' के पत्रकारिता आचरण मानदंड और केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995 के तहत कार्यक्रमों पर नजर रखनी होगी, ताकि ऑफलाइन (प्रिंट, टीवी) और डिजिटल मीडिया को एक समान वातावरण उपलब्ध करया जा सके।

शिकायत समाधान तंत्र

नियमों के तहत स्व–विनियमन के विभिन्न स्तरों के साथ एक तीन स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है।

- स्तर– I : प्रकाशकों द्वारा स्व–विनियमन
- स्तर– II : प्रकाशकों की स्व–विनियमित संस्थाओं का स्व–विनियमन
- स्तर– III : निगरानी तंत्र

प्रकाशकों द्वारा स्व-विनियमन

- प्रकाशक को भारत में एक शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करना होगा, जो प्राप्त शिकायतों के समाधान के लिये जवाबदेह होगा।

- यह अधिकारी स्वयं द्वारा प्राप्त हर शिकायत पर 15 दिन के भीतर निर्णय लेगा।

स्व-विनियमित संस्था

- प्रकाशकों की एक या ज्यादा स्व–विनियामकीय संस्थाएँ हो सकती हैं।
- ऐसी संस्था की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत न्यायाधीश या एक स्वतंत्र प्रतिष्ठित व्यक्ति करेगा, जिसमें छह से अधिक सदस्य नहीं होगें।
- इस संस्था को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में पंजीकरण कराना होगा।
- यह संस्था प्रकाशक द्वारा पालन किये जा रहे आचार संहिता संबंधी नियमों की निगरानी करेगी और उन शिकायतों का समाधान करेगी, जिनका प्रकाशक द्वारा 15 दिन के भीतर समाधान नहीं किया गया है।

निगरानी तंत्र

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय एक निगरानी तंत्र विकसित करेगा।
- यह आचार संहिताओं सहित स्व–विनियमित संस्थाओं हेतु एक चार्टर का प्रकाशन करेगा। यह शिकायतों की सुनवाई के लिये एक अंतर विभागीय समिति का गठन करेगा।

पुलिस निरीक्षकों का रिफ्रेशर कोर्स

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 04.01.2021 से 08.01.2021 तक “Refresher Course for Police Inspectors विषय पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से 15 पुलिस निरीक्षक ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञों ने भूमि और राजस्व विवादों से संबंधित अपराधों की जांच डिजिटल साक्ष्य, फाइलें, हैश वैल्यू, फर्सट् रिस्पॉन्डर, आईपी एड्रेस, ईमेल एनालिसिस, एफबी पर ब्लॉकिंग, सर्विस प्रोवाइडर्स, राइट ब्लॉकर्स का जानकारी दी। इसके साथ ही POCSO अधिनियम और जांच, डीएनए की जांच, केस स्टडीज, फिंगर प्रिंट, निर्दोष व्यक्तियों को डीएनए आदि में दोषी ठहराने से बचाव, बैंकिंग धोखाधड़ी और कानूनी पहलुओं की जांच, एटीएम/वॉलेट धोखाधड़ी की सावधानियों की जांच पर विस्तार से चर्चा की गई।

एनडीपीएस अधिनियम 1985 के अनिवार्य प्रावधानों और अन्वेषण में क्या करें और क्या न करें, पम्प एक्शन गन, चिली पाउडर का उपयोग, कानून व्यवस्था की स्थितियों में हेलमेट का उपयोग, हेलमेट कैमरे का डेमो, सीसीटीएनएस और आईसीजेएस आदि पर भी जानकारी दी गई।

संचार कौशल, सकारात्मक, दृष्टिकोण और टीम बिल्डिंग पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन सत्र में श्री सचिन मित्तल, ADGP, ट्रेनिंग, राजस्थान जयपुर पधारे जिन्होंने प्रतिभागियों के साथ विभिन्न सामरिक मुद्दों पर पुलिस की भूमिका पर चर्चा की। मुख्य अतिथि द्वारा कोर्स पर चर्चा के पश्चात प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये।

One day Basic training programme on “Human Rights”

राजस्थान पुलिस अकामदी, जयपुर में दिनांक 29.01.2021 One day Basic training programme on “Human Rights” विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षणकार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से 12 प्रतिभागियों जिसमें 03 पुलिस निरीक्षक, 09 उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घाटन सत्र में डॉ. एम. के. देवराजन, डीजीपी (सेवानिवृत्त) पूर्व सदस्य एसएचआरसी द्वारा मानव अधिकारो संबंन्धी संवैधानिक प्रावधान, सार्वभौमिक घोषणा मानवाधिकार, 1948, मानव अधिकारों पर अंतराष्ट्रीय प्रसंविदाये, मानव अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 1993 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व राज्य मानवाधिकार आयोग की कार्य प्रणाली पर विस्तार से जानकारी दी गई।

इसके साथ ही प्रतिभागियों को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम, 2000, यौन अपराध (पोक्सो) अधिनियम, 2012 से बच्चों की सुरक्षा, महिलाओं और बच्चों की तस्करी/लापता बच्चों संबंधी कानूनी विषयों, गिरफ्तारी संबंधी कानूनी प्रावधान व दिशा निर्देश, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु/यातना, पुलिस कार्यप्रणाली के दौरान मृत्यु/लापता होने संबंधी विषय व विचाराधीन कैदियों संबंधी विभिन्न पहलुओं, बंधुआ श्रमिक मुद्दे और बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976, बाल श्रम के मुद्दे और बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 का संशोधन (2016) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार की रोकथाम) 1989 संशोधन (2016) पर भी प्रतिभागियों को जानकारी दी गई।

पोक्सों पर एक दिन की कार्यशाला

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 09.03.2021 को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकारण के सौजन्य से बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से आये 70 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया।

उद्घाटन सत्र में श्रीमती नीना सिंह, एडीजीपी, सिविल राईट्स, राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव शर्मा, श्री ब्रजेन्द्र कुमार जैन, सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवंश्री संजय निराला, बाल अधिकार विशेषज्ञ, यूनिसेफ द्वारा कोर्स के प्रतिभागियों को संबोधित किया गया। श्रीमती तोषिता मालानी, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में प्रतिभागियों को बताया गया। एमआर मिगेल क्वे, चेयरपर्सन, UTSAH ने बच्चों और महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों से निपटने पर व्याख्यान दिया।

श्री राजेश कुमार –1, विशेष न्यायाधीश ने POCSO कोर्ट नंबर 3, जयपुर मेट्रो–1, ने महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की जांच में पुलिस अधिकारी की भूमिका पर अपना व्याख्यान दिया। श्री नीरज भारद्वाज, संयुक्त सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यौन अपराधों के पीड़ितों की सुरक्षा और कानूनी सहायता, पीड़ितों को मुआवजा, सहायता, जीवित व्यक्ति आदि की सुरक्षा में पुलिस अधिकारी की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त किये।

Cybercrime & Cyber law awareness programme for Judicial & Prosecuting officers

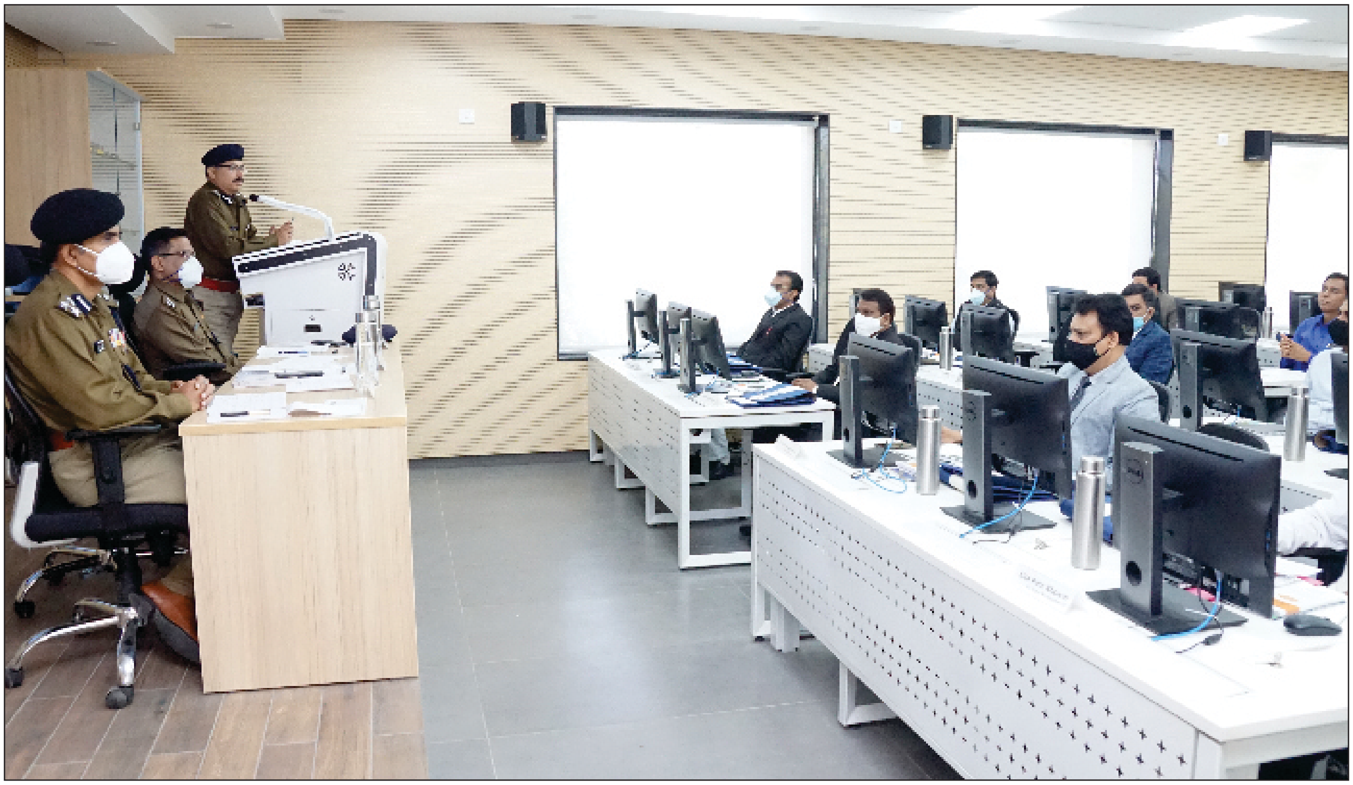

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में सीसीपीडब्ल्यूसी स्कीम के तहत दिनांक 26.02.2021 से 28.02.2021 तक तीन दिवसीय "Cybercrime & Cyber law awareness programme for Judicial & Prosecuting officers आयोजित किया गया। जिसमें 09 न्यायिक अधिकारियों एवं 09 अभियोजन अधिकारियों ने भाग लिया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव शर्मा द्वारा किया गया। उन्होंने अपने उद्‌बोधन में बढ़ते साइबर अपराधों तथा उनके रोकथाम व जागरूकता के संबंध में जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने इस प्रकार का अपराध करने वाले अपराधियों को सजा दिलाने के लिए न्यायिक अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों के मध्य बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया।

प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को ऑनलाईन कैशलेस ट्रॉजेक्सन के बारे में जानकारी प्रदान कर डेबिट व क्रेडिट कार्ड, ई–वॉलेट, भीम एप, पेटीएम व एटीएम आदि के बारे में हैण्डसऑन सैशन करवाया गया। इसके

साथ ही महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध हो रहे साइबर अपराधों की जानकारी दी जाकर इनकी रोकथाम एवं अनुसंधान के संबंध में विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभागियों के साथ चर्चा की गई।

पुलिस थानों में साइबर क्राईम एफआईआर के अनुसंधान हेतु पुलिस एप्स जैसे सीसीटीएनएस, राजकॉप, आईसीजेएस आदि के साथ–साथ थानों में आवश्यक साइबर क्राईम अनुसंधान टूल्स की जानकारी दी गयी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन सत्र के मुख्य अतिथि

श्री ज्ञान प्रकाश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीकर ने प्रतिभागियों के साथ प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त की गई जानकारी के बारे में चर्चा की तथा साईबर अपराधों के विचारण के दौरान आने वाली तकनीकी चुनौतियों के संबंध में जानकारी देते हुए अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम के अन्त में उन्होंने सभी प्रतिभागियों को प्रतिभागी प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किए।

Course for Prosecutors on “Women safety”

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एण्ड डवलपमेण्ट, गृह मन्त्रालय, भारत सरकार के सौजन्य से दिनांक 08.02.2021 से 12.02.2021 तक तीन दिवसीय Course for Prosecutors on “Women safety" आयोजित किया गया। जिसमें 24 अभियोजन अधिकारियों ने भाग लिया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागी अधिकारियों को महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनों, उनके नवीनतम संशोधनों, अनुसंधान के दौरान अपनाई जाने वाली मानक संचालन प्रक्रियाओं, इनके संबंध में जारी परिपत्रों एवं स्थाई आदेशों तथा विभिन्न आयोगों द्वारा जारी दिशा निर्देशों के संबंध में विषय विशेषज्ञों ने जानकारी प्रदान की।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के एक चर्चित प्रकरण, जिसमें न्यायालय द्वारा अपराधियों को मृत्यु दण्ड की सजा सुनाई गई है, के संबंध में महानिरीक्षक पुलिस, अजमेर रेंज, अजमेर श्री एस सेंगाथिर ने प्रकरण के

अनुसंधान अधिकारी एवं अभियोजन अधिकारी के साथ एक केस स्टडी प्रस्तुत कर प्रकरण की सफलता के प्रमुख बिन्दुओं के बारे में विस्तार से चर्चा की।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन सत्र के मुख्य अतिथि राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव शर्मा ने प्रतिभागियों के साथ महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न आयामों पर चर्चा की। उन्होंने पुलिस तथा अभियोजन अधिकारियों के बेहतर समन्वय की उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अन्त में उन्होंने सभी प्रतिभागियों को प्रतिभागी प्रमाण पत्र प्रदान किए।

If You Want Peace, Work For Justice

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर
समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रम
दिनांक 01.01.2021 से 31.03.2021 तक

क्र. सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	कुल कोर्स	कुल प्रतिभागियों संख्या
1	बैसिक ट्रैनिग	10	155
2	प्रमोशन कैडर कोर्स	6	224
3	इन हाऊस सर्विसेज कोर्सेज	7	120
4	रिफ्रेशर कोर्स	1	15
5	अन्य कोर्सेज	3	117
6	बीपीआरएण्डडी द्वारा आयोजित कोर्स	16	324
7	सीसीपीडब्ल्यूसी द्वारा आयोजित कोर्स	14	262
8	सीडीपीएसएम द्वारा आयोजित कोर्स	1	25
	कुल योग	**58**	**1242**
	पुलिस विभाग की अन्य यूनिटों द्वारा आयोजित विशिष्ठ	2	97

पदोन्नति प्रशिक्षण कार्यक्रम
दिनांक 01.01.2021 से 31.03.2021 तक

क्र. सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	बैच संख्या	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षणार्थियों की पदवार संख्या	कुल योग
1.	पुलिस निरीक्षक (सीपी) से पुलिस उप अधीक्षक के पद पदोन्नत अधिकारियों का 06 सप्ताह का इण्डेक्शन कोर्स पु–58	07/21	15.02.21 से 27.03.2021	पु0नि0/ सीसी–58	58
2.	उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक पद की पीसीसी, पु–1	81/20	14.12.20 से 23.02.2021	उनि–1	01
3.	सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक पद की पीसीसी, पु–83	52/20	16.12.20 से 08.03.2021	सउनि–83	83
4.	हैड कानि से सउनि पद की पीसीसी	58/21	15.2.2021 से 19.4.2021	हैड कानि–52	52
5.	कानि (बैण्ड) से हैड कानि0 (बैण्ड) पद की पीसीसी, पु–5	11/20	16.12.20 से 27.04.2021	कानि0–05	05
6.	कानि. से हैड कानि पद की पीसीसी	08/21	15.02.2021से 04.05. 2021	कानि–25	25
	कुल योग				**224**

विशिष्ठ प्रशिक्षण कार्यक्रम
दिनांकः-01.01.2021 से 31.03.2021 तक

क्र. सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	बैच संख्या	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षणार्थियों की पदवार संख्या	कुल योग
1.	Three days Workshop on "Road Safety Management"	01	17.02.2021 से19.02.2021	पुनि–3,उनि–16,एमवी उनि–1 ईई आरएस–1 म–3,पु–18	21
2.	SIMS(seizure Information Management System)	01	23.02.2021	सउनि–1 हैड कानि–9 कानि–68 पु–68, म–10	78
3.	One day Wevinar on Women Safety with Sensitivity (BPR&D, New Delhi) **(On Line)**	01	08.03.2021	पुनि–6,उनि–4, हैडकानि–5 कानि–03,पु–17, म–1	18
4.	Investigators on Women's Safety (BPR&D)	10			211
	कुल योग				**328**

बीपीआरएण्डडी डीएसआई प्लान के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम
दिनांकः-01.01.2021 से 31.03.2021 तक

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	बैच संख्या	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षणार्थियों की पदवार संख्या	कुल योग
1.	Investigation of Economic Crime Cases (BPR&D)	02	01.02.2021 से 11.02.2021	पुनि–3, उनि–17 म–02,पु–18	20
2.	Station House Management (BPR&D)	01	04.01.2021 से 08.01.2021	पुनि–7, उनि–08 पु–15	15
3.	Investigation of Cyber Crime (BPR&D)	01	18.01.2021 से 28.01.2021	पुनि–5,उनि–12 पु–14, म–3	17
4.	Investigation of Murder/Homicide Cases (BPR&D)	01	25.01.2021 से 30.01.2021	पुनि–3,उनि–20, पु–18, म–5	23
5.	Advanced Technology in Forensic Science	01	01.02.2021 से 11.02.2021	पुनि–5, उनि–10 म–02,पु–13	15
6.	Station House Management (BPR&D)	02	08.02.2021 से12.02.2021	पुनि–4,उनि–19, पु–19, म–4	23
	कुल योग				**113**

Editorial Board

Editor in Chief
Rajeev Sharma, IPS, Director

Editor
Dheeraj Verma, Inspector

Members
Sh. Kailash Chandra, DIG
Sh. Manish Agarwal, IPS, DD
Sh. Karan Sharma, AD
Sh. Rewant Dan, AD
Sh. Saurabh Kothari, AD
Smt. Suman Chaudhary, AD
Sh. Jeev Prakash, AD
Sh. Vidhya Prakash, AD

Photographs By Sagar
Typing By Makhani Devi

Rajasthan Police Academy
Nehru Nagar, Jaipur (Rajasthan) India
Ph. : +91-141-2302131, 2303222, Fax : 0141-2301878
E-mail : dirrpa@gmail.com Web : www.rpa.rajasthan.gov.in

Premier # 0141-2295097